



Bihar Police

बिहार दरगा

(PT+Mains+Physical Test)

23th April

06:00 PM



Indian Polity

भारतीय राजव्यवस्था

By : KHAN SIR

☞ सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया वह है भारतीय संविधान। इस किताब में 22 Lesson हैं। इसके lesson को हमलोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ Topic लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 हैं तथा अनुसूची 12 हैं।



संविधान के अनुसूची

☞ हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी किन्तु वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है।

➤ प्रथम अनुसूची— इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है।



- दूसरी अनुसूची – इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल के वेतनभत्ता की चर्चा है।
- ☞ राष्ट्रपति – 5 लाख रुपये / माह
 - ☞ उपराष्ट्रपति – 4 लाख रुपये / माह
 - ☞ लोकसभा अध्यक्ष – 4 लाख रुपये / माह
 - ☞ राज्यपाल/लोकसभा उपाध्यक्ष/उपसभापति – 3.5 लाख / माह
 - ☞ सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश – 2.8 लाख

- ☞ सर्वोच्च न्यायालय अन्य न्यायाधीश/उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशध/CAG/UPSC अध्यक्ष/RBI गवर्नर- 2.5 लाख
- ☞ उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश/UPSC के सदस्य/कैबिनेट के मुख्य सचिव/मंत्रालय का सचिव/ चुनाव आयोग/RBI डिप्टी गवर्नर- 2.25 लाख



- तीसरी अनुसूची – इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है।
(नोट – इसमें राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है।)
- चौथी अनुसूची – इसमें राज्यसभा के सीटों की चर्चा है।
- पांचवी अनुसूची – इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है।
- छठी अनुसूची – इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के चार राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा है।

- सातवीं अनुसूची – इस अनुसूची में शक्ति की विभाजन की चर्चा है तथा इसी अनुसूची में संघ सूची (Union list), राज्य सूची (State list), समवर्ती सूची (Concurrent List) की भी चर्चा है।



➤ संघ सूची के ऊपर केन्द्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है तथा समवर्ती सूची में केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है।

Note:- 42वें संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के पाँच विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है।

1. शिक्षा, 2. जनसंख्या नियंत्रण, 3. माप-तौल, 4. वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, 5. न्याय प्रशासन।

शक्ति का विभाजन	विषय	मूल विषय	वर्तमान
संघ सूची (1935) (Union List)	सेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक कम्यूनिकेशन, रेल, सेना वायुयान, जनगणना	97	100
राज्य सूची (State List)	पुलिस, पंचायत, जेल, स्थानीय स्वशासन, शराब, पशुपालन, सिंचाई, कृषि, तिर्थयात्रा, हॉस्पिटल	66	61
समवर्ती सूची (Concurrent List)	शिक्षा, आर्थिक नियोजन, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, वन, विद्युत योजना	47	52

- अवशिष्ट सूची – इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है।
- आठवीं अनुसूची – इसमें राजभाषा का उल्लेख है प्रारंभ में इसमें 14 भाषा थी। किन्तु वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है।
- 21वां संशोधन 1967 – सिंधी
- 71वां संशोधन 1992 – नेपाली, मणिपुरी, कोंकण
- 92वां संशोधन 2003 – बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली

- 9वीं अनुसूची – इसे प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसमें भूमि, जमींदार, उन्नमूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा है।
- 10वीं अनुसूची – इसे 52वां संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल-बदल की चर्चा है।
- 11वीं अनुसूची – इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायत की चर्चा है।
- 12वीं अनुसूची – इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। इसमें नगरपालिका की चर्चा है।

संविधान के भाग

- भाग 1- अनुच्छेद (1-4) → संघ और उसका राज्य क्षेत्र
- भाग 2- अनुच्छेद (5-11) → नागरिकता
- भाग 3- अनुच्छेद (12-35) → मौलिक अधिकार
- भाग 4 - अनुच्छेद (36-51) → राज्य की नीति के निदेशक तत्व *DPSP*
- भाग 4(क)- अनुच्छेद (51 क) → मौलिक कर्तव्य

- भाग 5 – अनुच्छेद (52-151) → संघ *Central*
- भाग 6 – अनुच्छेद (152-237) → राज्य
- ~~भाग 7~~ – संविधान (सातवाँ) संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित → प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य
- भाग 8 – अनुच्छेद (239-242) → संघ राज्य क्षेत्र UT (*केंद्र शासित*)
- भाग 9 – अनुच्छेद [243 (1 - 15)] → पंचायतें → संविधान के 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा अंतः स्थापित।

- भाग 9(क)– अनुच्छेद [243 (16-33)] → नगरपालिकायें → संविधान के 74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा अंतःस्थापित।
- भाग 9(ख)– अनुच्छेद [243 (33-46)] → सहकारी समितियाँ → संविधान के 97वाँ संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा अंतःस्थापित।
- भाग 10– अनुच्छेद (244, 244क) → अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्र
- भाग 11– अनुच्छेद (245-263) → संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध
- भाग 12– अनुच्छेद (264-300 क) → वित्त, सम्पत्ति संविदाएँ व वाद



Bihar Police

बिहार दरगा

(PT+Mains+Physical Test)

23th April

06:00 PM



- भाग 13– अनुच्छेद (301-307) → भारत के राज्य क्षेत्र की भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागमन
- भाग 14– अनुच्छेद (308-323) → संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएँ
- भाग 14(क)– अनुच्छेद (323क-323ख) → अधिकरण → 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।
- भाग 15– अनुच्छेद (324-329 क) → निर्वाचन

- भाग 16 – अनुच्छेद (330-342) → कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबन्ध
- भाग 17 – अनुच्छेद (343-351) → राजभाषा
- भाग 18 – अनुच्छेद (352-360) → आपात उपबन्ध
- भाग 19 – अनुच्छेद (361-367) → प्रकीर्ण



- भाग 20 – अनुच्छेद (368) → संविधान संशोधन
 - भाग 21 – अनुच्छेद (369-392) → अस्थायी, संक्रमण कालीन तथा विशेष उपबन्ध
 - भाग 22 – अनुच्छेद (393-395) → संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन
- 370
- 26 May 1949
- 26 Jun 1950

भाग 1 (अनुच्छेद 1-4)

संघ और राज्य क्षेत्र (Union and Its Territory)

- **अनुच्छेद 1** – भारत अर्थात् India राज्यों का संघ (India that is Bharat shall be a union of State) अर्थात् इसके राज्य कभी-भी टुटकर अलग नहीं हो सकते हैं।
- ☞ **Confederal (परिसंघ)** – परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे-छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी-थोड़ी शक्तियाँ केन्द्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं।


- ☞ **Federation (संघ)**– राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है।
- ☞ **Union (संघ)**– इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं।
- ☞ अमेरिका एक Federation है और भारत एक Union है।

- **अनुच्छेद 2** – संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानि अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति (सूचना) पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे-सिक्किम।
- ☞ सिक्किम (इसके लिए 35वाँ संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक special अनुच्छेद-2(क) जोड़ा गया था। लेकिन फिर सिक्किम को 36वाँ संविधान संशोधन 16 मई, 1975 के द्वारा भारत का 22वाँ राज्य बनाया गया।

- **अनुच्छेद 3** – संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को (बिना उसके अनुमति) नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है।
- जैसे– **MP** – छत्तीसगढ़ (1 नवम्बर, 2000)
- UP** – उत्तराखंड (9 नवम्बर, 2000)
- Bihar** – झारखंड (15 नवम्बर, 2000)



- **अनुच्छेद-4** – जब संसद अनुच्छेद-2 का प्रयोग करेगी यानि किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद-3 का प्रयोग करेगी यानि किसी राज्य को तोड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे अनुच्छेद-368 के बाहर रखा गया है। (जिसको अनुच्छेद-368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है।)




अखण्ड भारत

- ☞ हमारा भारत अखण्ड भारत था। सबसे पहले 1893 में डुरंड लाइन खिंच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया यह अखण्ड भारत का पहला टुकड़ा था।
- ☞ अखण्ड भारत का दूसरा टुकड़ा – 1935 में म्यांमार (बर्मा) अलग हो गया।
- ☞ अखण्ड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक ओर पूर्वी पाकिस्तान और एक ओर पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेडक्लिफ रेखा जो भारत-पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को **Zero line** कहा जाता है।

☞ अंग्रेजो ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिया—

1. पाकिस्तान में मिल जायें,
2. भारत में मिल जायें एवं
3. स्वतंत्र देश बनावें।

☞ जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत (Princely State) थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर Federation बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर Union बनाइए।



☞ इस काम में तीन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी—

- (i) सरदार पटेल,
- (ii) V. P. मेनन एवं
- (iii) लॉर्ड माउंट बेटेन।



- ☞ इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया किन्तु तीन राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे—
1. **हैदराबाद**— हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे किन्तु सरदार पटेल ने पुलिस कि वर्दी में सेना भेजा जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितम्बर 1948 में भारत में मिला लिया गया।
 2. **जूनागढ़**— गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किन्तु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर (**Referendum**) उसे भारत में मिला दिया।

3. **जम्मू कश्मीर** – यहाँ की जनता मुस्लिम थी लेकिन राजा हिन्दु हरि सिंह (डोगरा शासक) थे। उन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे नहीं पाकिस्तान में रहेंगे। हम स्वतंत्र देश बनाएंगे तबतक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर, 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया।




☞ इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को चार राज्यों (A, B, C, D) में बाँटा गया।

1. **A – (British Proviencie)**– वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था (9)।

2. **B – (Princely State)**– वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था (9)।

3. **C – (Commissionary)**– वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे (10)।

4. **D – (Union Terriotry) केन्द्रशासित प्रदेश**– (1)।




1. **S. K. धर कमिटी**– भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में S. K. धर आयोग का गठन किया गया किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया।
 2. **J. V. P. समिति (जवाहर लाल नेहरू, पताभी सितारमैया, सरदार पटेल)**– इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया।
- ☞ 1952 में तेलगू भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू भुख हड़ताल पर बैठ गया। और 56 दिन के भुख हरताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई फल स्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। 01 Oct 1953 में मजबूर होकर तेलगू भाषा के लिए अलग राज्य आंध्रप्रदेश को परिणाम स्वरूप गठन किया गया अन्ततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना।

☞ **फजल अली आयोग**— भाषायी आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषायी आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फल स्वरूप 7वाँ संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ इसके बाद A, B, C, D को रद्द करके भाषायी आधार पर 14 राज्य तथा 6 केन्द्रशासित प्रदेश बनाए गए।



☞ **PEPSU (Patiyala & East Punjab State Union)**– पंजाब राज्य का पुर्नगठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। PEPSU चार भाग में टुट गया।

1. हिमालय – हिमाचल प्रदेश
2. हिन्दी – हरियाणा
3. पंजाबी – पंजाब
4. U.T. – चंडीगढ़



☞ इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सीमट कर इतने में रह गया जिसमें 28 राज्य तथा 7 केन्द्रशासित प्रदेश बन गया। पहले केन्द्र में 29 राज्य तथा 7 केन्द्रशासित प्रदेश थे लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छिन लिया गया और 28 राज्य बच गये। पहले 7 केन्द्रशासित प्रदेश थे लेकिन जम्मू और लद्दाख को दो केन्द्रशासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई लेकिन एक **decision** लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन द्वीव दो अलग केन्द्रशासित प्रदेश हैं। इन्हें एक कर दादरा नागर हवेली कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केन्द्रशासित प्रदेश हैं।